

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2017

विषय-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-31/सामु०सह०/आर०टी०ई०/4662/2016-17 दिनांक 12.01.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासनादेश संख्या- 3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी०सी०-11, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 538/79-6-2013, दिनांक 20 जून, 2013, शासनादेश संख्या- 266/79-5-2016-29/2009 टी०सी०-11, दिनांक 24 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या- 582/79-5-2016- 29/2009टी.सी.-11 दिनांक 03 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 999/79-5-2016-29/2009 टी०सी० दिनांक 11 मई, 2016 (छायाप्रतियों संलग्न) द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पास के गैर-सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया को ऑन लाईन भी किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृपया इसे समयबद्ध रूप से कराने के लिए अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य के लिए आप पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या-78(1)/79-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ तथा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपने स्तर से समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
6. समस्त प्राचार्य, डायट/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
7. वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।
10. शिक्षा अनुभाग-5।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव